रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268488
CG-DL-E-15122025-268488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2025/अग्रहायण 20, 1947
No. 809] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025/AGRAHAYANA 20, 1947

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 895(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1994 अधिक्रमण करते हुए, एतद द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में स्टाफ कार चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलभ वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबक अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4.- निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्टाफ कार चालक	4*(2025). कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (रु.19900-63200)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :- आयु-सीमा अवचारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	**आवश्यक** : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्तिका होना ; (iii) मोटर तंत्र का ज्ञान; और (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष तक का अनुभव। **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1. — अर्हताएँ**, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल किए जा **सकती है**। **टिप्पण 2. —** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम	लागू नहीं होता।

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।”	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता|	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण** :- केंद्रीय सरकार या विभाग द्वारा यंथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii)प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा: (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सवार हरकारा के रूप में) उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की हो सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1.**- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी **टिप्पण 2.**- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें **सम्मिलित** हैं: - 1. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन)– अध्यक्ष; 2. दो अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी से नीचे के पद के न हों - सदस्य। **टिप्पण** :- विभागीय प्रोन्नति समिति का एक सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा।	लागू नहीं होता।

		प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी | **टिप्पण 2.-** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिज़र्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हता और अनुभव है। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए -13018/3/2024-प्रशासन]

रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2025

G.S.R. 895(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Food Processing Industries Staff Car Driver (Group 'C' Post) Recruitment Rules,1994, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Ministry of Food Processing Industries, namely: -

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Food Processing Industries, Staff Car Driver (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** -The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** -No Person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Staff Car Driver.	4*(2025). Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, and Lakshadweep.	**Essential:** (i)10th class pass from a recognised Board; (ii) possession of a valid driving license for motor cars; (iii) knowledge of motor mechanism; and (iv) experience of driving a motor car for at least three years. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1**.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to	Not applicable.

						be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits or re-employed. **Note**.- There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government or department.	(i) By deputation/absorption, failing which by direct recruitment ; (ii) by deputation or re-employment: (For Armed Forces Personnel).	Deputation/absorption: Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment to the post (as Dispatch Rider in the Ministry of Food Processing Industries) on regular basis in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1**.-The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualification and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**.- The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Deputy Secretary or Director (administration) – Chairman; 2. Two officers not below the rank of Section Officer - Members. **Note.**- One member of Departmental Promotion Committee shall belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.	Not applicable.

[F. No. A-13018/3/2024-ADMINISTRATION]

RANJIT SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.15 15:52:05 +05'30'